

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

फाइल नं:- SEEPZM-SECU0SECA/1/2025-SEC/02498

दिनांक: 19.02.2025

विषय:- कार्यालय आदेश संख्या 433/2024 में संशोधन के लिए अधिसूचना - विशेषाधिकार पास जारी करना
Subject: Notification for modification to Office Order No. 433/2024 - Issuance of Privilege Pass

कार्यालय आदेश संख्या 433/2024 दिनांक 17.12.2024 के आंशिक संशोधन में, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि निर्यात मानदंड, जो शुरू में एक इकाई से 500 करोड़ पर आधारित थे, अब समूह कंपनियों के कुल निर्यात को शामिल करेंगे, बशर्ते फर्मों द्वारा एक एकल बैलेंस शीट दाखिल की गई हो। परिणामस्वरूप, प्रत्येक योग्यता इकाई से एक निदेशक को एक विशेषाधिकार पास जारी किया जाएगा।

In partial modification of Office Order No. 433/2024 dated 17.12.2024, the Authority has decided that the export criteria, which were initially based on ₹500 crore from a single unit, will now include the total export of Group companies, provided a single balance sheet is filed by the firms. Consequently, a privilege pass will be issued to one director from each qualifying unit.

यह संशोधन जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This amendment will be effective from the date of issue and is issued with the approval of the competent authority.


19/02/2025

हनीश राठी
(स.वि.आ/ सुरक्षा)

प्रति,

1. यूनिटों के निदेशकों भागीदारों/स्वामियों, सीपज़-सेज़
2. एसजीजेएमए (SGJMA)
3. एसईईएमए (SEEMA)
4. जीजेईपीसी (GJEPC)
5. ईपीसीईएस (EPCES)
6. सीपज़ वेबसाइट

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

F. No.SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/13844

Date: 17.12.2024

कार्यालय आदेश संख्या 433 /2024

विषय: सीपज़ यूनिटों के निदेशकों/भागीदारों/स्वामियों के लिए विशेष पास जारी करने के संबंध में।

Subject: Issuance of Privilege Pass for Directors/Partners/Proprietors of SEEPZ Units

सीपज़ प्राधिकरण की 69वीं और 70वीं प्राधिकरण बैठकों के दौरान व्यापार प्रतिनिधि प्राधिकरण सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसरण में, प्रत्येक यूनिट के निदेशक/भागीदार/मालिक के लिए प्रति यूनिट एक 'विशेषाधिकार पास' जारी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सीपज़-सेज़ में उनके निर्बाध प्रवेश को सुगम बनाया जा सके। इस निर्णय का उद्देश्य सीपज़-सेज़, मुंबई के निर्यात संवर्धन प्रयासों में उनकी बहुमूल्य भागीदारी को सम्मानित करना है।

'विशेषाधिकार पास' उन कुछ लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने किसी भी तरह से SEEPZ के विकास में योगदान दिया है। इसे प्रशासन द्वारा SEEPZ के विकास में संपत्ति निर्माताओं के योगदान की पहचान के रूप में माना जाएगा।

A. यूनिट धारकों के लिए :

ये पास उद्यमी के अनुरोध पर विकास आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे और निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे:

1. निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करें-
 - i. पिछले वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात।
 - ii. 500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार।
 - iii. SEEPZ प्राधिकरण के सदस्य।
 - iv. SEEPZ प्राधिकरण के पूर्व सदस्य।

In pursuant to the request made by the Trade Representative Authority Members during the 69th and 70th Authority Meetings of SEEPZ Authority, it has been decided to issue **one 'Privilege Pass' per unit** for the **Director/Partner/ Proprietor** to facilitate their seamless entry into SEEPZ SEZ. This decision aims to honor their valuable participation in the export promotion efforts of the SEEPZ-SEZ, Mumbai.

The 'Privilege Pass' is being given to those few who have contributed to the growth of SEEPZ in any manner. It is being considered by the administration as recognition of the contribution of wealth creators in the growth of SEEPZ.

A. For Unit Holders:

These passes will be issued by the Development Commissioner on the request of the Entrepreneur and the following criteria will be adopted:

1. Fulfilling any one of the following conditions-
 - i. Exports of over Rs. 500 Cr in preceding financial year.
 - ii. Employment to over 500 persons.
 - iii. Members of SEEPZ Authority.
 - iv. Ex-Members of SEEPZ Authority.

- v. GJEPC/EPCEs के अध्यक्ष।
- vi. SGJMA के अध्यक्ष।
- vii. GJEPC/EPCEs के पूर्व अध्यक्ष (अंतिम 5 वर्षों के भीतर)।
- viii. SGJMA के पूर्व अध्यक्ष (अंतिम 5 वर्षों के भीतर)।
- ix. SEEMA के अध्यक्ष।
- x. SEEMA के पूर्व अध्यक्ष (अंतिम 5 वर्षों के भीतर)।

- v. Chairman of GJEPC/EPCEs.
- vi. President of SGJMA.
- vii. Ex-Chairman of GJEPC/EPCEs (Last 5 years).
- viii. Ex-President of SGJMA (Last 5 years).
- ix. President of SEEMA.
- x. Ex-President of SEEMA (Last 5 years).

निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें सभी पर लागू होंगी-

1. कोई प्राधिकरण शुल्क बकाया नहीं होना चाहिए।
2. कोई उप-लीज समझौता लंबित नहीं होना चाहिए।
3. कोई FE सीमा से अधिक लंबित नहीं होनी चाहिए।
4. DRI/DGGI/GST/ED का कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
5. SEEPZ प्राधिकरण से कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

6. प्रत्येक पास के लिए वार्षिक शुल्क 10,000 रुपये होना चाहिए।

1. अनुरोध प्रस्तुत करना:

प्रत्येक यूनिट निम्नलिखित प्रारूप में अपनी यूनिट के एक निदेशक/ भागीदार/स्वामी को नामित करते हुए अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है:

Following additional conditions shall apply to all—

1. No Authority dues pending.
2. No sub lease agreement pending.
3. No FE beyond permissible limits pending.
4. No case of DRI/DGGI/GST/ED.
5. No dispute with SEEPZ Authority of whatsoever nature.
6. Annual Fees of Rs. 10,000/- per pass.

1. Request Submission:

Each unit may submit the request nominating one Director/Partner/Proprietor of their unit in the following format:

यूनिट का नाम/ Unit Name	व्यक्ति का नाम/ Name of Person	पद का नाम/ Designation	वाहन सं./ Vehicle No.	मोबाइल सं./ Mobile	ईमेल आईडी/ Email ID
----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

2. वाहन जांच:

'विशेषाधिकार पास' धारक के वाहन की नियमित आधार पर जांच नहीं की जाएगी। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार, आकस्मिक जांच की जा सकती है।

2. Vehicle Checking:

The 'Privilege Pass' holder's vehicle will not be checked on routine basis. However, as per directions from the competent authority, random checks may be conducted.



3. विशेष पास का दायरा:

'विशेषाधिकार पास' केवल वाहन की जांच के लिए और तब लागू होगा जब निदेशक/भागीदार/मालिक अपना बहुमूल्य समय बचाने के लिए वाहन में मौजूद हों। हालांकि, निदेशक/भागीदार/मालिक को SEEPZ गेट पर अपना गेटपास दिखाना होगा।

4. निदेशक/भागीदार/मालिक की अनुपस्थिति:

यदि वाहन पर 'विशेषाधिकार पास' लगा है, लेकिन छूट प्राप्त निदेशक/भागीदार/मालिक वाहन में मौजूद नहीं है, तो सामान्य सुरक्षा जांच प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

5. निदेशक/भागीदार/मालिक द्वारा वचनबद्धता:

निदेशक/भागीदार/मालिक को यह बताते हुए वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी:

"मैं वचन देता हूँ कि वाहन संख्या _____ में कोई अघोषित शुल्क योग्य माल या आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। यदि यादृच्छिक जांच के दौरान ऐसा कोई माल या आपत्तिजनक वस्तु पाई जाती है, तो प्राधिकरण उचित कार्रवाई कर सकता है, और मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहूँगा।"

ख) सुरक्षा अनुभाग के लिए :

1. विनम्र व्यवहार:

सभी विशेष पास धारकों के साथ विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा।

2. गेटपास और वाहन की जांच:

केवल व्यक्ति के गेटपास की जांच की जानी चाहिए। यदि विशेष पास धारक (निदेशक/भागीदार/मालिक) वाहन में है, तो वाहन की जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अधिकारी से (अर्थात सहायक विकास आयुक्त (सुरक्षा प्रभारी) तक के रैंक का हो) विशेष निर्देश प्राप्त न हों।

3. निर्देश जारी करने की अनुमति:

सहायक विकास आयुक्त को वाहन जांच के संबंध में कोई भी निर्देश जारी करने से पहले अनुमति लेनी होगी।

3. Privilege Pass Scope:

The 'Privilege Pass' will be applicable **only for vehicle checking** and when the Director/Partner/Proprietor is present in the vehicle to save their valuable time. However, the Director/Partner/ Proprietor must show their **Gatepass** at the SEEPZ gate.

4. Non-Presence of Director/Partner /Proprietor:

If the vehicle has the 'Privilege Pass' but the exempted Director/Partner/Proprietor is not present in the vehicle, normal security checking procedures will be followed.

5. Undertaking by Director/Partner /Proprietor:

The Director/Partner/Proprietor must submit an undertaking stating:

"I undertake that the vehicle no. _____ does not possess any undeclared dutiable goods or objectionable objects. If any such goods or objectionable objects are found during random checking, the Authority may take appropriate action, and I shall be fully responsible for the same"

B. For Security Section:

1. Courteous Behaviour

All Privilege pass holders shall be treated with utmost courtesy and respect.

2. Gatepass and Vehicle Checking:

Only the person's Gatepass should be checked. If the Privilege pass holder (Director/Partner/Proprietor) is in the vehicle, the vehicle shall not be checked unless specific instructions are received from an officer not below the rank of Assistant Development Commissioner (in-charge of Security).

3. Permission for Issuing Instructions:

The Assistant Development Commissioner must seek permission before issuing any such instructions regarding vehicle checking.




कृपया सुचारू संचालन के लिए उपर्युक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और सीपज़ सेज़ के सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखें।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Kindly ensure strict compliance with the above-mentioned conditions for smooth operations and to uphold the security protocols of SEEPZ SEZ.

This issues with approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.



(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़, मुंबई

प्रति:-

1. यूनिटों के निदेशकों/भागीदारों/स्वामियों, सीपज़-सेज़
2. एसजीजेएमए (SGJMA)
3. एसईईएमए (SEEMA)
4. जीजेईपीसी (GJEPC)
5. ईपीसीईएस (EPCES)
6. संपदा अधिकारी (Estate Officer)
7. सहायक विकास आयुक्त (सुरक्षा) (ADC, Security)
8. सीपज़ वेबसाइट
9. सूचना पट्ट